



# राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक: NEP-2020/शैक्षणिक-प्रथम/2023/

दिनांक :

समस्त प्राचार्य संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा का ड्राफ्ट एवं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आई डी का निर्माण करने सम्बन्धी ड्राफ्ट संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। कृपया उनके अनुरूप आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

- हं -

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राजकुमार जैन  
उप कुलसचिव (शैक्ष.-प्रथम)

क्रमांक: NEP-2020/शैक्षणिक-प्रथम/2023/31813-32

दिनांक : 22/11/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अधिष्ठाता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. प्रो. एन.के.पाण्डेय, संयोजक NEP-2020
3. प्रो. जी. पी. सिंह, निदेशक, शैक्षणिक
4. प्रो. एस. के. गुप्ता, व अन्य सदस्य NEP-2020 सब कमेटी के अन्य सदस्य।
5. स्वयंपाठी छात्रों के लिये गठित समिति के सदस्य।
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न <sup>दी</sup> ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. उप-कुलसचिव (नामांकन/शैक्षणिक द्वितीय) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. जन संपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

सहायक कुलसचिव (शैक्ष.-प्रथम)

# UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR


## Creation of Academic Bank of Credit ID

Under National Education Policy 2020 every University and Higher Education institution must get register themselves on the National Academic Repository (NAR) and Academic Bank of Credit (ABC). The University Grant Commission (UGC), New Delhi and Education (Group-IV) Government of Rajasthan has issued instructions for the implementation of Academic Bank of Credits in the Universities. Academic Bank of Credits will digitally store the academic credits earned by students from Higher Education Institutions registered with ABC, for awarding degree / Diploma / Certificates taking into account credits earned by students.

**Procedure for opening Academic Bank account on ABC portal**  
[www.abc.gov.in](http://www.abc.gov.in)

- i) Visit [www.abc.gov.in](http://www.abc.gov.in)
- ii) Click on my account > student;
- iii) For new users - click on "Sign up for Meri Pehchaan"
- iv) Enter your mobile number, you will get OTP on your registered mobile number.
- v) Fill in all necessary details and click on Verify.
- vi) Students will get ABC ID. Get these details for college records.

**It is mandatory to create ABC ID for all students (Newly admitted + Previously admitted)**



L-1  
18/11/2022

# राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर


## एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी का निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान को नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी (एनएडी) और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी), नई दिल्ली और शिक्षा (गुप-IV) राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एबीसी के साथ पंजीकृत उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों द्वारा अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।

एबीसी पोर्टल ([www.abc.gov.in](http://www.abc.gov.in)) पर अकादमिक बैंक खाता बनाने की प्रक्रिया

- i) [www.abc.gov.in](http://www.abc.gov.in) पर जाएं
- ii) my account > student पर क्लिक करें;
- iii) नए उपयोगकर्ताओं के लिए - "मेरी पहचान के लिए साइन अप करें" पर क्लिक करें।
- iv) अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।
- v) सभी आवश्यक विवरण भरें और सत्यापित पर क्लिक करें।
- vi) छात्रों को एबीसी आईडी मिलेगी। कॉलेज रिकॉर्ड के लिए ये विवरण प्राप्त करें।

सभी विद्यार्थियों (नव प्रवेशित + पूर्व प्रवेशित) के लिए एबीसी आईडी बनाना अनिवार्य है।



4-1  
15/11/2022

# राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिट रूपरेखा के अनुरूप सत्र 2023-24 से राजस्थान विश्वविद्यालय के कला/वाणिज्य/विज्ञान/ललित कला/ सामाजिक विज्ञान संकाय से संबंधित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गयी है।
2. सेमेस्टर प्रणाली में स्नातक पाठ्यक्रम तीन/चार वर्षों का होगा।
3. प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। नियमित छात्रों की विषम सेमेस्टर (अर्थात् प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम) की परीक्षा दिसम्बर माह में तथा सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम तथा अष्टम) की परीक्षा मई माह में आयोजित होगी। स्वयंपाठी छात्रों की एक वर्ष की दोनों (सम और विषम) सेमेस्टर परीक्षा मई माह में होगी।
4. (I) स्नातक पाठ्यक्रम B.A./B.Com/B.Sc. में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन मुख्य विषयों (Major Subject) का चयन करना होगा। प्रत्येक मुख्य विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जायेगी। मुख्य विषय के अनुसार केवल सैद्धान्तिक परीक्षा या सैद्धान्तिक + प्रायोगिक दोनों परीक्षा होगी।  
(II) स्नातक पाठ्यक्रम B.A. (Discipline)/B.Com. (Discipline)/ B.Sc. (Discipline) में मुख्य Discipline के विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे तथा तीसरा प्रश्न पत्र मुख्य Discipline से भिन्न/अन्य विषय के प्रश्न पत्र का चयन करना होगा। Discipline = Hindi Language /Sociology / Pol. Sc./ Geography / Physics / Botany / Chemistry /ABST/Bub. Adm. etc.  
उदाहरणस्वरूप-यदि विद्यार्थी B.A. (Discipline) में अर्थशास्त्र विषय का चयन करता है तो स्नातक कार्यक्रम B.A. (Economics) कहलायेगा। इस कार्यक्रम में अर्थशास्त्र विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे तथा तीसरा प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र विषय से भिन्न/अन्य विषय के प्रश्न पत्र होगा।  
(III) BCA/BBA/BVA/BPA/B. Des /B.Voc. स्नातक पाठ्यक्रमों में तीनों प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे।
5. मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (AEC) के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देनी होगी। इसी प्रकार प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (VAC) तथा कौशल वर्धित पाठ्यक्रम (SEC) की सूची में से पाठ्यक्रमानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में एक-एक विषय का अध्ययन करना होगा।  
जिसे निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है :-

	मुख्य विषय 1	मुख्य विषय 2	मुख्य विषय 3	योग्यता वर्धित कार्यक्रम	मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (चयनित एक विषय)	कौशल वृद्धि प्राप्तांक (चयनित एक विषय)	कुल
क्रेडिट	6 या 4(सैद्धा)+2(प्रा)	6 या 4(सैद्धा)+2(प्रा)	6 या 4(सैद्धा)+2(प्रा)	हिन्दी (2) अंग्रेजी (2)	2	2	26
अंक	150 या 100(सैद्धा)+50(प्रा)	150 या 100(सैद्धा)+50(प्रा)	150 या 100(सैद्धा)+50(प्रा)	हिन्दी (50) अंग्रेजी (50)	50	50	650

4-7  
18/11/2023

**नोट:-**

(I) जिन महाविद्यालयों में NCC तथा NSS उपलब्ध हैं उन महाविद्यालयों के छात्र मुख्य वर्धित पाठ्यक्रम (VAC) के रूप में NCC तथा NSS का चयन कर सकते हैं। NCC तथा NSS पाठ्यक्रम में चयन महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा सम्बंधित regulatory bodies के नियमानुसार होगा।

(II) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं है:- टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सज एण्ड देयर यूटीलाइजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्युकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा जन संचार, NCC, NSS तथा आनन्दम प्रोग्राम इत्यादि।

6. प्रत्येक विषयों/प्रश्न पत्रों में क्रेडिट हासिल करने के लिए विद्यार्थी को न्यूनतम सी-ग्रेड (40 प्रतिशत) अंक हासिल करने होंगे।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में छात्रों की प्रगति का आंकलन एवं शैक्षिक विकास के लिए निरन्तर मूल्यांकन को लागू किया गया है। अतः नियमित छात्रों के लिए सेमेस्टर ग्रेड पोइन्ट एवरेज (SGPA) में प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो घटक हैं- सतत मूल्यांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) तथा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (80 प्रतिशत भार)

	4-क्रेडिट सैद्धान्तिक तथा 2-क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम			2-क्रेडिट सैद्धान्तिक तथा 4-क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम			6-क्रेडिट सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	2-क्रेडिट सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	2-क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम
	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	कुल	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	कुल	सैद्धान्तिक	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक
सतत मूल्यांकन (CA) (20% भार)	20	10	30	10	20	30	30	10	10
सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (80% भार)	80	40	120	40	80	120	120	40	40
कुल	100	50	150	50	100	150	150	50	50

8. स्वयंपाठी छात्रों के लिए सतत मूल्यांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) नहीं होगा अर्थात सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (100 प्रतिशत भार) की होगी।
9. नियमित छात्रों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) में पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी-ग्रेड (C-GRADE) (40 प्रतिशत) अंक तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हासिल करना आवश्यक होगा।
10. सतत मूल्यांकन (CA) के निम्नांकित तीन घटक हैं-
- (I) मध्यावधि परीक्षा (Midterm Examination) (सतत मूल्यांकन अंको का 50 प्रतिशत भार)
- (II) असाईनमेन्ट (Assignment) (सतत मूल्यांकन अंको का 25 प्रतिशत भार)
- (III) उपस्थिति (Attendance) (सतत मूल्यांकन अंको का 25 प्रतिशत भार)

**11. मुख्य विषयों के**

(I) वे पाठ्यक्रम जिनमें सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है उनमें सेमेस्टर के अन्त में मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में दो भाग होंगे। प्रथम भाग 20 अंको का होगा तथा इसमें 10 लघु उत्तरात्मक (20 शब्दों) प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा पूरे पाठ्यक्रम से होंगे। द्वितीय भाग में आन्तरिक विकल्प के साथ 15 अंको के चार वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ये चार प्रश्न पाठ्यक्रम में प्रत्येक इकाई से एक आन्तरिक विकल्प के साथ दिये जायेंगे।

Lun  
10/11/2017

(II) वे पाठ्यक्रम जिनमें सिर्फ सैद्धान्तिक परीक्षा का प्रावधान है। उनमें सेमेस्टर के अन्त की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र के तीन भाग होंगे। प्रथम भाग 20 अंको का होगा तथा इसमें 10 लघुत्तरात्मक (20 शब्दी) प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा पूरे पाठ्यक्रम से होंगे। द्वितीय भाग 20 अंको का होगा जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना होगा। तथा ये पाठ्यक्रम विशेष के अनुसार होंगे। तृतीय भाग में आन्तरिक विकल्प के साथ 20 अंको के चार वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ये चार प्रश्न पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से एक आन्तरिक विकल्प के साथ होंगे।

(III) जो विद्यार्थी छः सेमेस्टर में कुल 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तथा स्नातक स्तर पर शोध के इच्छुक हैं वे चौथे वर्ष में शोध का चयन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय तथा कॉलेज (शोध के लिए चयनित) अनुमोदित संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजना या शोध प्रबन्ध पूरा करना होगा। वे विद्यार्थी जो शोध परियोजना/प्रबन्ध के 12 क्रेडिट सहित कुल 200 क्रेडिट प्राप्त करते हैं। उन्हें स्नातक डिग्री (अनुसंधान के साथ ऑनर्स) प्रदान की जायेगी।

12. विषम सेमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम) से सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम) में सभी विद्यार्थियों का उन्नयन (promotion) किया जायेगा।
13. वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पिछले वर्ष के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को न्यूनतम सी (C) ग्रेड (40%) के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
14. यदि प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 48 से कम है, तो- पहले वर्ष में न्यूनतम 18 क्रेडिट (मुख्य विषयों में कुल क्रेडिट 36 का 50%) और न्यूनतम 26 क्रेडिट (कुल क्रेडिट 52 का 50%) हासिल करने पर "बैक प्रमोशन (Back Promoted)" टिप्पणी के साथ पदोन्नत किया जाएगा। अपने दूसरे वर्ष में, वह पहले और दूसरे सेमेस्टर के प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर फिर से आवश्यक क्रेडिट अर्जित कर सकता है। अन्यथा, छात्र "प्रमोट नहीं किया गया (Not Promoted)" टिप्पणी के साथ पूर्व छात्र (Ex-Student) होगा।
15. किसी भी वर्ष छात्र पिछले वर्ष के किसी एक सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकता है।
16. पाठ्यक्रम से निकास एवं प्रवेश की नीति-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत विद्यार्थी के पास किसी पाठ्यक्रम से एकाधिक निकास एवं प्रवेश की सुविधा निम्न प्रकार प्रदान की गई है:-

(I) जो छात्र प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित 52 क्रेडिट में से न्यूनतम 48 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप (internship) पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) दिया जाएगा।

(II) जो छात्र द्वितीय वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल 104 क्रेडिट में से न्यूनतम 96 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप (internship) पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को डिप्लोमा दिया जाएगा।

(III) जो छात्र तृतीय वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल 150 क्रेडिट से न्यूनतम 146 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप (internship) पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री प्रदान की जायेगी।

(IV) जो छात्र चतुर्थ वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के लिए निर्धारित कुल 200 क्रेडिट से न्यूनतम 196 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की

छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप (internship) पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक ऑनर्स डिग्री प्रदान की जायेगी।

(V) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र तीन साल के अन्तराल में स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में पुनः प्रवेश ले सकेंगे किन्तु अधिकतम सात वर्ष की अवधि में स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।

17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली के समस्त स्नातक पाठ्यक्रम के सभी छात्रों को 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप (internship) पूरी करनी अनिवार्य होगी। इंटर्नशिप (internship) को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी इंटर्नशिप (internship) से सम्बंधित दिशा निर्देशानुसार पूरी करने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से विद्यार्थी की होगी। विद्यार्थी को इंटर्नशिप (internship) प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष के मध्य गर्मी की छुट्टियों में कभी भी पूरी करनी होगी।

\* तीन/चार वर्षों के स्नातक पाठ्यक्रम का अतिरिक्त विवरण बिन्दु 16 में देखें।

4-1  
18/11/2023